भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1945

12 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा उपकरणों में आत्म निभरता

1945: श्री मनोज कोटक:

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वर्तमान में अपने चिकित्सा उपकरणों का 80 से 90 प्रतिशत आयात करता है और इनमें से अधिकतर गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए गैर-विनियमित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): भारत को उच्च प्रौद्योगिकी चिकित्सा उपकरण निर्यात करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या सरकार ने चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा उपस्करों, चिकित्सा प्रयोगशाला किट क्षेत्र में भारत की आत्म-निर्भरता हेतु कोई रूपरेखा तैयार की है;

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ.): इस प्रयोजन हेतु अब तक स्वीकृत/उपयोग की गई निधि कितनी है ?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): वर्तमान में भारत अपनी चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता का लगभग 80% आयात करता है। भारत को चिकित्सा उपकरणों का निर्यात करने वाले देशों में यूएसए, जर्मनी, चीन, सिंगापुर तथा नीदरलैंड्स शीर्ष देश हैं।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) इस समय औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों की 28 श्रेणियों का विनियमन कर रहा है।

इसके अलावा, समस्त चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 11.02.2020 के का.आ. 648 (अ.) के तहत अधिसूचना जारी की है, जिसम चिकित्सा उपकरणों को परिभाषित किया गया है तथा दिनांक 11.02.2020 को जारी जी.एस.आर. 102 (अ.) के तहत चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी गैर-अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों के विनियमन के लिए तंत्र को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) से (ङ): चिकित्सा उपकरणों/उपस्करों के घरेलू विनिमाण को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र म बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल तैयार की गई ह, जैसे कि –

(i) राष्ट्रीय बायोफामा मिशन

(ii) डीबीटी - एएमटीजैड कमांड (कोविड-19 मेडटैक मैन्युफैक्चरिग डेवलपमट) कंसोर्शिया, जिसे आंध्र प्रदेश के मेडटैक जोन (एएमटीजैड) के साथ मिलकर बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी) द्वारा प्रारंभ किया गया है।

(iii) चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिमाण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना।

(iv) "चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवधन" हेतु योजना।

"चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिमाण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना" नामक योजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपए का है।

भारत सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय पर "चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवधन" नामक योजना को भी अनुमोदित किया गया है।

148.79 करोड़ रुपए के परिव्यय पर राष्ट्रीय बायोफामा मिशन को चिकित्सा उपकरणों के विनिमाण एवं परीक्षण के लिए बुनियादी अवसंरचना एवं सुविधा कद्रों की स्थापना हेतु प्रारंभ किया गया है। ऐसे 9 सुविधा कद्रों को वित्त-पोषित किया गया है तथा 105.42 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

******